न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 28/2024 **दायर दिनांकः 11.12.2024**

उनवान

1. रुपचन्द आयु 55 वर्ष पुत्र भैरुलाल जाति बैरवा निवासी केरवालिया तहसील अटरु जिला बारां (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 28.04.2024**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 128 का ख0 नं. 179 का रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 180 का रकबा 1.04 है0, खसरा नं. 537 का रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.13 हैक्टर आराजी प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है । नकल जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। वाके ग्राम एवं माल सरसोदिया तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 91 का खसरा नं. 272 का रकबा 3.40 हैक्टर कुल किता 1 का रकबा 3.40 हैक्टर आराजी प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है नकल जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की गट नं. 1 व 2 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम रुपचन्द के स्थान पर रूपलाल दर्ज हो गया है जो कि गलत अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम रूपचन्द है जो कि उसके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेजो में भी रूपचन्द नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेजात व सरपंच ग्राम पंचायत केरवालिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र पार्थना पत्र के साथ संलग्न है. जो काबिले

गौर है। प्रार्थना पत्र की गहन 1 व 2 में वर्णित आराजी में राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर अपना नाम रूपलाल के स्थान पर रुपचन्द दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम रूपलाल कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्राथी का नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थी बैंक से कृषि ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहा है और न ही अन्य कृषि योजनाओं इत्यादि का लाभ प्राप्त कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्राथर्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी । प्रार्थना पत्र पत्र की सद न. 1 व 2 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में, अंकन करवाने का अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया –जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना को प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा ग्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल केरवालिया व सरसोदिया तह. अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस गॉखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम/माल केरवालिया में खाता संख्या 128 व ग्राम/माल सरसोदिया के खाता संख्या 91 में प्रार्थी का नाम रूपलाल के स्थान पर रुपचन्द दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/733 दिनांक 07.04.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल केरवालिया सम्वत 2072–75 खाता संख्या 128, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल सरसोदिया सम्वत 2074–77 खाता संख्या 91, ग्राम पंचायत केरवालिया प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पास बुक व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल केरवालिया में खाता संख्या 128 का ख0 नं. 179 का रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 180 का रकबा 1.04 है0, खसरा नं. 537 का रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.13 हैक्टर आराजी में सहखातेदार रूपलाल पुत्र भैरू के स्थान पर रूपचन्द उर्फ रूपलाल पुत्र भैरू तथा ग्राम एवं माल सरसोदिया में खाता संख्या 91 का खसरा नं. 272 का रकबा 3.40 हैक्टर कुल किता 1 का रकबा 3.40 हैक्टर आराजी में सहखातेदार रूपलाल पुत्र भैरूलाल के स्थान पर रूपचन्द उर्फ रूपलाल पुत्र भैरूलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल केरवालिया में खाता संख्या 128 का ख0 नं. 179 का रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 180 का रकबा 1.04 है0, खसरा नं. 537 का रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.13 हैक्टर आराजी में सहखातेदार रूपलाल पुत्र भैरू के स्थान पर रूपचन्द उर्फ रूपलाल पुत्र भैरू तथा ग्राम एवं माल सरसोदिया में खाता संख्या 91 का खसरा नं. 272 का रकबा 3.40 हैक्टर कुल किता 1 का रकबा 3.40 हैक्टर आराजी में सहखातेदार रूपलाल पुत्र भैरूलाल के स्थान पर रूपचन्द उर्फ रूपलाल पुत्र भैरूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां